

Abolition of Sales Tax

290. SHRI R.L.P. VERMA :
SHRI S.S. SOMANI :

Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to State :

(a) whether Government are aware the large scale demonstrations, representations and agitations from the trading community throughout the country for the abolition of Sales Tax ;

(b) whether Chief Minister of States also met to resolve this issue; and

(c) if so, whether a final decision has since been taken in this behalf ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) :

(a) Number of representations have been received by the Central Government suggesting abolition of sales tax and its replacement by excise duty. Government have seen reports of traders speaking to ventilate their point of view through demonstrations in certain states.

(b) and (c). The question of extending the scheme of replacement of sales tax by additional excise duties on some essential commodities like cement, medicine, vanaspati and petroleum products, as recommended by the Indirect Taxation Enquiry Committee, was last considered at a meeting of Chief Ministers of States held on 19th and 20th May, 1979. The proposal was objected to by a large majority of the States. As levy of tax on sales or purchases of goods taking place within a State is a State subject of taxation under the Constitution, it cannot be replaced by excise duty without the concurrence of the State Governments.

देत में बैंकों को नई शाखाएं खोलना

91. श्री राज लखर : क्या जब प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देत में बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिये इस वर्ष और अगले वर्ष क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) ऐसी शाखाएं खोलने के लिये राज्यवार क्या लक्ष्य रखा गया है और मध्य प्रदेश में इन शाखाओं की खोलने का जिलेवार क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) इस बारे में क्षेत्रों के चुनाव के लिये अपनाये गये मुख्य मापदण्ड क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुक्तिशंकर उन्नाव) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक 1979-81 के तीन वर्षों की अवधि के लिये शाखा विस्तार योजना बना रहा है। इन 3 वर्षों के दौरान शाखा विस्तार कार्यक्रम में कम बैंक वाले जिलों के बिना बैंक वाले ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने पर जोर दिया जायेगा। इस अवधि में खोली जाने वाली शाखाओं की कुल अपेक्षित संख्या में से लगभग 6500 शाखाएं निर्धारित कमी/कम बैंक वाले जिलों में खोली जायेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन जिलों में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धि बढ़ कर प्रति शाखा 20,000 व्यक्तियों के राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाए। इन अपेक्षित शाखाओं का राज्यवार विवरण I में दे दिया गया है। कमी वाले जिलों के क्षेत्रों का अग्रिम रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों और संबंधित बैंकों के परामर्श से किया जाता है। जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है रिजर्व बैंक में अनुमान लगाया है कि तीन वर्षों की अवधि के दौरान 730 शाखाओं की आवश्यकता होगी ताकि कमी वाले जिलों की प्रति शाखा 20,000 व्यक्तियों के राष्ट्रीय स्तर तक लाया जा सके। राज्य सरकार के परामर्श से शाखा खोलने के लिये 571 क्षेत्रों को चुना जा चुका है और 290 क्षेत्रों के लिये साइडसेंस भी जारी कर दिये गये हैं। जिलेवार विवरण II में दे दिया गया है।

विवरण—I

कमी वाले जिलों और अगले तीन वर्षों में इन जिलों में खोली जाने वाली अपेक्षित प्रतिरिक्त बैंक शाखाओं का राज्यवार व्यौर

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की कुल संख्या	जिलों की संख्या जिनमें प्रति बैंक कार्यालय जन-संख्या प्रतिशत ग्रामीण/अर्धग्रामीण क्षेत्रों में 20,000 से अधिक है	काल्प 4 के जिलों में खोली जाने वाली अपेक्षित प्रतिरिक्त शाखाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1	मध्य प्रदेश	21	14	202
2	अण्डम	10	9	287

1	2	3	4	5
3	बिहार	31	30	1441
4	गुजरात	19	5	62
5	हरियाणा	11	2	11
6	हिमाचल प्रदेश	12	—	—
7	जम्मू व कश्मीर	10	1	2
8	कर्नाटक	19	4	43
9	केरल	11	—	—
10	मध्य प्रदेश	45	39	730
11	महाराष्ट्र	26	17	467
12	मजोरपुर	1	1	12
13	मेघालय	5	3	12
14	नागालैण्ड	7	—	—
15	उड़ीसा	13	13	406
16	पंजाब	12	—	—
17	राजस्थान	26	18	193
18	तमिलनाडु	15	6	172
19	त्रिपुरा	3	1	2
20	उत्तर प्रदेश	56	48	1686
21	पश्चिम बंगाल	16	14	785
22	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2	—	—
23	अरुणाचल प्रदेश	5	—	—
24	अरुणाचल प्रदेश	1	—	—
25	झारखण्ड और नागर हवेली	1	—	—
26	दिल्ली	1	—	—
27	गोवा, दमन और द्यू	3	—	—
28	सकाईप	1	—	—
29	मिजोरम	3	—	—
30	पच्छिम बंगाल	1	—	—
	कुल	387	225	9513

खिलाफ II

संघ प्रदेस में शाखा खोलने में किये जाये किये गये
साइसेलों के बिलेवार आंकड़े

बिले का नाम	गई नीति के अन्तर्गत जारी किये गये साइसेलों/ किये गये शाखटणों की संख्या
1	2
बालाघाट	12
बस्तर	9
बैतूल	8
बिबि	5
बीपल	—
बिंसाकपुर	18
छत्तरपुर	—
छिंदवाड़ा	13
दमोई	3
दतिया	1
देवास	—
झार	7
झुंज	13
पूर्वी निमाड़	10
मुना	3
म्यासियर	5
होशंगाबाद	—
इंदौर	—
जबलपुर	20
जाबुधा	1
मंडला	7
मंसौर	14
मुरैना	10
नरसिंहपुर	6
पन्ना	1
रायगढ़	6
रायपुर	16
रायसेन	—
राजगढ़	3
राजनेवासे	8
रतलाज	5
राँज	13
साबदे	10
सतवा	5
सोनीर	1

1	2
बिबनी	10
साइबोस	2
शाजापुर	7
सिबपुर	3
सिधी	10
सुरगुंथा	2
डीकनगढ़	—
उज्जैन	6
बिदिना	4
परिषदी निर्माड़	13
जोड़	290

CONCESSION TO UNDER-DEVELOPED COUNTRIES

*9a. SHRI D.D. DESAI :
SHRI JAGDISH PRASAD
MATHUR :

Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether under-developed countries including India obtained specific concessions from the developed countries at UNCTAD V held recently in Manila;

(b) if not whether this was due to the inability of the developed countries to act in a concerted manner;

(c) whether considerations of aid by the developed countries was an inhibiting factor in the ability of Group of 77 to bargain for trade preferences; and

(d) the stand Government of India took in regard to trade preferences both at the meeting of the Group of 77 and at UNCTAD V ?

THE MINISTER OF COMMERCE,
CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION
(SHRI MOHAN DHARIA) :

(a) and (b). The agenda for UNCTAD-V covered a wide range of subjects including virtually all the major conference of developing countries in the area of trade and development. The results of the Conference for developing countries like India should be evaluated in the context of their continuing efforts to restructure their economic relations with developed countries and accelerate the implementation of the Programme of Action for the establishment of the New International Economic Order and the extent to which the Conference contributed to the realisation of these objectives.